# न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर, जिला चित्तौडगढ

## पीठासीन अधिकारी श्री पुनीत कुमार गेलड़ा (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या:– 13 / 2023
दायर दिनांक:– 13.04.2023
निर्णय दिनांक:– 22.05.2024

**उनवान**

1. सुशीला पुत्री मोहनलाल रेगर, निवासी बुल का खेड़ा तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ।
2. चंपालाल दतक पुत्र किशनलाल रेगर, निवासी बुल का खेड़ा तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ

**प्रार्थीगण्**

**बनाम**

1. ओमप्रकाश पुत्र रूघनाथ खटीक, निवासी– बुल का खेड़ा तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ।
2. रोशनदेवी पत्नि रूघनाथ खटीक, निवासी– बुल का खेड़ा तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ
3. पारस पुत्री रूघनाथ खटीक, निवासी– बुल का खेड़ा तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ।
4. देवकिशन पुत्र रूघनाथ खटीक, निवासी– बुल का खेड़ा तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ।
5. जमनेश पुत्र रूघनाथ खटीक, निवासी– बुल का खेड़ा तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ।
6. जमकलाल पिता लक्ष्मण मीणा, निवासी मीणापाड़ा तह. भूपालसागर, जिला चितौड़गढ़।
7. भगवानलाल पिता लक्ष्मण मीणा, निवासी मीणापाड़ा तह. भूपालसागर, जिला चितौड़गढ़।
8. नाथुलाल पुत्र प्रेमचन्द मीणा, निवासी मीणापाड़ा तह. भूपालसागर, जिला चितौड़गढ़।
9. सत्यनारायण पुत्र प्रेमचन्द मीणा, निवासी मीणापाड़ा तह. भूपालसागर, जिला चितौड़गढ़।
10. कानसिंह पिता जसुसिंह राजपूत, निवासी बुल, तह. भूपालसागर, जिला चितौड़गढ़।
11. निर्मलाबाई पत्नि शंकरलाल रेगर, निवासी बुल का खेड़ा, तह. भूपालसागर, जिला चितौड़गढ़।
12. सोराम पिता उदयराम गाडरी, निवासी बुल का खेड़ा, तह. भूपालसागर, जिला चितौड़गढ़।
13. केशर पुत्र उदयराम गाडरी, निवासी बुल का खेड़ा, तह. भूपालसागर, जिला चितौड़गढ़।
14. शंकरी पुत्री उदयराम गाडरी, निवासी बुल का खेड़ा, तह. भूपालसागर, जिला चितौड़गढ़।
15. मियाराम पुत्र उदयराम गाडरी, निवासी बुल का खेड़ा, तह. भूपालसागर, जिला चितौड़गढ़।

**अप्रार्थीगण्**

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956**

**–: निर्णय :–**

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी की जाने हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया। वकील प्रार्थी हाजिर। अप्रार्थीगण हाजिर नही। बार–बार आवाजे लगाई गई फिर भी अप्रार्थीगण की तरफ से कोई हाजिर नही हुआ। इस कारण अप्रार्थीगण के विरूध एक तरफा कार्यवाही की गई। वकील प्रार्थी ने बहस प्रार्थना पत्र हेतु निवेदन किया जिसे स्वीकार किया जाकर बहस सुनी गई। अतः वकील प्रार्थी की बहस एंव पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अर्न्तगत धारा–128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी का स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार भूपालसागर को 500– रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौजा बूल पटवार हल्का बूल तहसील भूपालसागर की संयुक्त खातेदारी की खाता संख्या 144 की हाल आ.सं. 127 रकबा 0.09 हैक्टर, आ.सं. 128 रकबा 0.50 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 0.59 हैक्टर में उभयपक्षकारान को जरिये समन नोटिस तलब करवाकर अपने नेतृत्व में सीमांकन की टीम गठित कर चारों दिशाओं की पुख्ता पत्थरगढी की कार्यवाही करे। अगर मौके पर कोई विवाद न हो अथवा मौके पर फसल खड़ी न हो तो ही पत्थरगढी की जावे एवं कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट पेश करे। कमिश्नर फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करे साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि किसी भी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं हो। इस आशय बाबत तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनवाया गया।

(पुनीत कुमार गेलड़ा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर